

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांक :-एफ()उवसंझुं/सर्वे/2021-22/9386

दिनांक :-31/7/21


Jio Digital Fiber PVT LTd
1st Floor, Anand Bhawan, SC Road
Jaipur

विषय :- उदयपुरवाटी से ग्राम कोट तक OFC केबल डालने बाबत
संदर्भ :- FCA Proposal No. FP/RJ/OFC/45025/2021 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी
उदयपुरवाटी के पत्रांक 572 दिनांक 30.07.2021

महोदय,

- उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयांकित प्रकरण का मौका निरीक्षण सर्वेयर कार्यालय हाजा व क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी से करवाया गया एवं प्राप्त रिपोर्ट (प्रति संलग्न) अनुसार प्रकरण में निम्नानुसार कमियां पायी गयी: -
1. प्रकरण में आवेदित भूमि में लगभग आधे से अधिक गैर वन भूमि आ रही है। जिसके सही आकलन हेतु राजस्व विभाग से सत्यापित खसरा नकशा व जमाबन्दी प्राप्त कर खसरा वाईज क्षेत्रफल का विवरण देते हुए रूट चार्ट को खसरा नक्शे एवं जी.टी. शीट पर दर्शाया जाकर प्रस्तुत करें। इसी के अनुरूप संशोधित कंएमएल फाईल और पार्ट 1 में संशोधन कर अपलोड करें।
 2. कार्यालय में प्राप्त हार्ड प्रतियों में छायाप्रतियां बिना कार्यालय मोहर के प्राप्त हुयी है। सभी सेटों के प्रत्येक पृष्ठ को मूल रूप से कार्यालय मोहर पदनाम सहित सत्यापित कर भिजवायें।
 3. आप इस कार्यालय एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी से वन भूमि के रिकॉर्ड एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय को सूचित करें ताकि संबंधित स्टाफ को भिजवाया जा सके।
 4. उपरोक्त क्षेत्र शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व में गिरता है इस हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाईट पर वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित करें।

सलग्न:- प्राप्त मूल ही 5 सेट।


(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुंझुनूं

क्रमांक: 572

निमित्त:-

श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय,
झुन्झुनू

विषय:- उदयपुरवाटी से ग्राम कोट तक OFC केबल डालने बाबत।

सन्दर्भ:- FCA Proposal No. FP/RJ/OFC/45025/2021


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण का सर्वेयर कार्यालय उपवन संरक्षक झुन्झुनू के साथ मौका निरीक्षण किया गया। आवेदित क्षेत्र में आ रही वन भूमि शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व का भाग है। कन्जर्वेशन रिजर्व होने के कारण वाईल्डलाईफ क्लीयरेंस हेतु अलग से आवेदन किया जावे। आवेदन के साथ खसरा नक्शा व जमाबंदी संलग्न नहीं है। अतः आवेदित क्षेत्र को खसरा नक्शे पर दर्शावे व जमाबंदी तथा खसरा नक्शा राजस्व विभाग से सत्यापित करवाकर भिजवाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करावे। मौका रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार

FCA
E

31/7/21



भवदीय

रणवीर सिंह
क्षेत्रीय वन अधिकारी
उदयपुरवाटी

आज दिनांक 30-07-2021 को श्रीमान उप वन निरीक्षक, डीडर
 के निदेशावली Forest clearance के लिए PARSVESH
 portal पर PFA Proposal No. PF/PS/OFD/45025/2021
 का प्रस्ताव निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी मध्य
 प्रदेश राज्य वन विभाग कार्यालय उप वन निरीक्षक,
 इन्डूर भेजे गए हैं। प्रकरण में कांस्टीबल वन अधिकारी
 शाकम्बरी डिपार्टमेंट भेजे के गाली है। कांस्टीबल के
 साथ स्वतंत्र नमूना व जमावती लैबिंग नहीं है।
 अतः उप वन अधिकारी हेतु Wildlife Clearance
 का प्रस्ताव कांस्टीबल कश्चात जाय तथा कांस्टीबल
 के साथ कांस्टीबल भेजे के स्वतंत्र नमूने पर
 दर्शाए गए जमावती राज्य विभाग के तलाक
 करवाकर लैबिंग करवायी जावे। उप वन अधिकारी
 प्रति के बिना रिपोर्ट दिया जाना किंचित नहीं
 है। रिपोर्ट भेजे जा वनाधी जाय
 हालांकि भेजे उप जो वन अधिकारी का
 भेजे प्रकरण के साथ ही अधिक भेजे वन अधिकारी का

[Signature]
 क. वि. श. म.

[Signature]
 P.O.
 इन्डूर